

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -4

1149

संघिका संख्या - खा0/पुन0/235/2016-17
कार्यालय आदेश

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक संख्या-606 दिनांक-20.02.2017 द्वारा खादी पुनरुद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों को स्थिर (Fixed Capital) की सुदृढीकरण हेतु चरखा के अतिरिक्त करघा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

02. उक्त संकल्प के कंडिका-08 में उल्लेखित शर्त के अनुसार निम्न 03 (तीन) संस्था/समितियों को करघा क्रय करने हेतु 50 प्रतिशत रूपया 2,40,000.00 (दो लाख चालिस हजार) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र०	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलब्ध कराये गये त्रिपुरारि मॉडल चरखा की	संकल्प के कंडिका 10 में उल्लेखित शर्त के अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले करघा की संख्या	संकल्प के कंडिका 11 में उल्लेखित शर्त के अनुसार प्रति करघा की निर्धारित कीमत	करघा की कुल कीमत (रूपये में)	संकल्प के कंडिका 07 में उल्लेखित शर्त के अनुसार स्वीकृत/भुगतेय राशि कीमत का 50 प्रतिशत राशि
1.	नालन्दा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नालन्दा	35	07	30,000.00	2,10,000.00	1,05,000.00
2.	ग्राम स्वराज्य संघ, बरियारपुर, मुंगेर	20	04	30,000.00	1,20,000.00	60,000.00
3.	राजेन्द्र खादी ग्रामोद्योग संघ, सीवान	25	05	30,000.00	1,50,000.00	75,000.00
कुल :-		80	16		4,80,000.00	2,40,000.00

03. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुनरुद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

04. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञापांक संख्या-606 दिनांक-20.02.2017 के कंडिका 02 एवं 03 में दिये गये शर्तों के अनुसार ही करघा क्रय करेंगे।

- करघा क्रय करने के लिए 90 (नब्बे) प्रतिशत अनुदान दी जायेगी तथा 10 (दस) प्रतिशत खादी संस्थाओं को स्वयं वहन करना होगा।
- करघा की गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होगी : -
 - करघा पुरा आयरन का बना हो।
 - करघा पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) होना चाहिए, जिसकी बुनाई की शटल अपने आप चलती हो।
 - करघा गियर पद्धति का हो।
 - करघा का अरज कम से कम 45 इंच एवं अधिक से अधिक 62 इंच का हो।
 - करघा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 10 से 20 मीटर कपड़ा बुनने का हो।

5. खादी संस्थाएं अपने स्तर से क्रय के पूर्व करघा की गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट होंगे।
6. करघा कीमत की राशि खादी संस्था/समितियों के बैंक खाते में सीधे NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। यह राशि क्रय के पहले 50 (पचास) प्रतिशत भुगतान किया जायेगा, शेष 50 (पचास) प्रतिशत का भुगतान करघा क्रय एवं उसे स्थापित किये जाने के बाद उसकी जाँच खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7. खादी संस्था/समितियों की जिम्मेवारी होगी कि उनके द्वारा क्रय किये गये करघा का संचालन एवं तकनीकी जानकारी अपने स्तर से आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करेंगे तथा 15 दिनों के अन्दर करघा क्रय कर बोर्ड को सूचित करेंगे अन्यथा 10 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि बोर्ड को वापस करना होगा।
8. करघा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधित सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - 2वा/135

पटना, दिनांक - 13/10/17

प्रतिलिपि :- समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - 2वा/135

पटना, दिनांक - 13/10/17

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश है कि करघा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - 2वा/135

पटना, दिनांक - 13/10/17

प्रतिलिपि :- उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुनरुद्धार योजना)/निर्गत प्रभारी गार्ड एवं निजी संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

1147

ज्ञापांक - २९०१/१३५

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना, दिनांक - १३/१०/१७
प्रेषित। नालन्दा/मुंगेर एवं सीवान को सूचनार्थ

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - २९०१/१३५

प्रतिलिपि :- जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला
कार्यालय, नालन्दा/मुंगेर एवं छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित। पटना, दिनांक - १३/१०/१७

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - २९०१/१३५

प्रतिलिपि :- राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना
को सूचनार्थ प्रेषित। पटना, दिनांक - १३/१०/१७

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक - २९१०/१३५

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित। पटना, दिनांक - १३/१०/१७

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

११/१०/२०१७

सुरेश
१२/१०/१७